भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 575

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक)

महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी

575 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे बढ़ाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षो के दौरान देशभर में विभिन्न उद्योगों (विशेषकर पटाखा उद्योग, ईंट-भट्टों तथा होटलों/ढाबों) से छुड़ाए गए तथा बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत पुनर्वासित बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल श्रम में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कानूनी कार्रवाई तथा कारावास/लगाए गए जुर्माने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

पीएलएफएस की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2022 में 33.9% से बढ़कर वर्ष 2025 में 40.0% हो गई है

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, तथा 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है।

श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण हितधारक हैं। बाल एवं किशोर (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और दायित्व जिला मजिस्ट्रेटों को प्रदान किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के कड़ाई से प्रवर्तन के लिए निर्देश/परामर्श जारी करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध-संबंधी आँकड़ों के संग्रह और उनके संधारण के लिए प्रमुख एजेंसी है। यह मंत्रालय समय-समय पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजीकृत मामलों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 23.07.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 575 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-2023 के दौरान बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप-पत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020						2021						2022						2023					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	2	0	0	5	0	0	37	11	0	22	25	0	12	20	0	13	24	0	15	18	0	14	20	0	25	23	6	4	31	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	68	37	0	54	40	0	40	17	0	32	21	0	78	36	1	76	42	1	86	59	6	79	63	6	132	91	6	120	99	6
4	बिहार	15	13	2	14	14	2	3	1	0	1	1	0	14	9	0	10	11	0	98	67	0	95	95	0	522	387	0	284	487	0
5	छत्तीसगढ	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	6	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	64	63	4	72	76	4	39	38	1	52	53	1	40	41	3	44	48	4	42	38	1	43	42	1	85	89	1	90	103	1
8	हरियाणा	11	5	1	8	8	1	1	0	0	0	0	0	12	5	0	5	5	0	4	8	0	12	12	0	8	4	0	7	5	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	18	8	6	8	8	6	27	17	12	25	20	12	5	2	0	1	2	0	6	5	0	7	7	0	41	32	0	44	44	0
11	कर्नाटक	83	58	8	75	74	8	54	48	8	50	59	8	58	83	20	95	95	20	62	59	16	59	73	17	128	101	36	50	117	36
12	केरल	2	3	0	2	3	0	0	0	1	0	0	1	3	3	0	5	5	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	1	1	0
13	मध्य प्रदेश	4	4	1	8	8	1	1	1	0	5	5	0	5	3	2	1	3	2	0	0	1	0	0	1	4	4	6	4	8	6
14	महाराष्ट्र	53	65	1	116	83	2	29	41	0	53	53	0	57	71	0	81	85	0	87	71	1	69	104	1	44	44	0	69	49	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0

17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	पंजाब	8	6	2	7	6	2	11	7	2	9	7	2	8	4	0	7	4	0	13	2	2	18	2	2	12	18	0	32	41	0
21	राजस्थान	48	48	13	52	51	15	30	26	5	23	28	10	19	20	9	23	21	10	28	24	6	26	27	7	38	35	3	38	38	3
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	3	1	1	3	2	2	2	0	0	2	0	0	26	8	0	19	8	0	29	5	0	23	5	0	56	33	9	56	35	9
24	तेलंगाना	314	323	32	49	383	36	147	164	50	71	191	55	224	232	113	58	258	128	175	170	145	19	217	162	168	151	101	15	189	114
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	9	6	0	9	6	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	2	0	10	9	0	13	15	0	5	6	1	8	8	1
27	उत्तराखंड	27	18	0	18	26	0	41	29	0	19	45	0	25	19	0	1	36	0	54	51	1	44	51	2	57	31	1	21	40	1
28	पश्चिम बंगाल	7	6	0	7	6	0	3	4	0	2	4	0	2	3	0	4	3	0	0	2	0	0	3	0	2	2	0	2	3	0
	कुल राज्य	**740**	**666**	**71**	**510**	**797**	**79**	**469**	**407**	**80**	**369**	**516**	**90**	**595**	**563**	**151**	**445**	**656**	**169**	**713**	**590**	**181**	**524**	**738**	**203**	**1332**	**1054**	**170**	**851**	**1305**	**183**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	2	4	0	18	6	0	3	4	0	2	12	0
31	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0

	और दमन और दीव+																														
32	दिल्ली	30	22	17	23	25	18	6	18	0	21	24	0	11	13	0	25	14	0	36	15	0	41	25	0	52	13	4	70	14	4
33	जम्मू और कश्मीर*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**32**	**22**	**17**	**23**	**25**	**18**	**7**	**19**	**0**	**21**	**26**	**0**	**18**	**13**	**0**	**26**	**14**	**0**	**38**	**19**	**0**	**59**	**31**	**0**	**58**	**19**	**4**	**74**	**28**	**4**
	कुल अखिल भारत)	**772**	**688**	**88**	**533**	**822**	**97**	**476**	**426**	**80**	**390**	**542**	**90**	**613**	**576**	**151**	**471**	**670**	**169**	**751**	**609**	**181**	**583**	**769**	**203**	**1390**	**1073**	**174**	**925**	**1333**	**187**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट : '+' 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त डेटा

*' 2019 के लिए पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य (लद्दाख सहित) का डेटा